भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

को० परिष्ठ कोषाधिकारी

2 2023

मु०रो० C.C. परिष्ठ कोषाधिकारी S.T.O.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 854537

NOTARY D.K. Gupta Advocate Teh. Powayan Shahjahanpur Govt. Of (INDIA)

नीति गुप्ता

Devesh Kumar Gupta
Notary Advocate
(Govt. of India)
Teh.-Powayan Distt. Shahjahanpur

समक्ष :

सक्षम अधिकारी

हम **वर्षा गोस्वामी** एवं **नीती गुप्ता** कमशः **अध्यक्ष** एवं **सचिव** डॉ0 राम मनोहर लाहिया वेलफेयर सोसाइटी, मो0 कसभरा आढत पो0 व तह0 पुवायां, जिला शाहजहाँपुर शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम द्वारा आर0एम0एल0 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, कुंवरपुर बडागांव, पुवायां, शाहजहाँपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के कुंवरपुर बडागांव, पुवायां, शाहजहाँपुर में गाटा संख्या 167 एवं 168 रकबा कमशः 1.307 एवं 0.789 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.096 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 168 एवं 167 रकबा कमशः .789 एवं 0.08 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.869 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 29.12.2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमिएंव उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमा के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

नीति गुप्ता

Devesh Kumar Gupta
Notary Advocate
(Govt. of India)
Teh.-Powayan Distt. Shahjahanpur

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे कोई विधिक कार्यवाही नही जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरहित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY D.K. Gupta Advocate Teh. Powayan Shahjahanpur Govt. Of (INDIA)

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

SWORN & VERIFIED BEFORE ME IDENTIFIED BY DEVESH KUMAR GUPTA NOTARY ADVOCATE Teh.-Powayan Distt. Shahjahanpur (U.P.) Received Fee